



AGRICULTURAL RESEARCH SUB STATION

TABIJI, P.O. SARADHANA-305026 (AJMER)

Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner-303329 Distt. Jaipur (Raj.)

Dr. DINESH ARORA:

Professor ()
and Officer Incharge

Ph : (O) 0145-2440892

Mobile : 9828012345

No. : ARSS / T / F 27 / SKNAU / ARSS - Tabiji / Ajm / 39

Dated : 13/5/2022

सीमित निविदा सूचना

कार्प की उपयोगिता व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनु. उप केन्द्र, तबीजी-पार्क, अजमेर पर गोबर की खाद (FYM) की आपूर्ति हेतु दि 18.5.2022 को प्रातः 11.30 बजे बन्द लिफाफे में सीमित निविदा आमन्त्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएँ इसी दिन दोपहर 1.00 बजे कमेटी सदस्यों द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा पत्र व शर्तों की जानकारी कार्पोरल नोटिस बोर्ड व विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www. sknau. ac. in](http://www.sknau.ac.in) पर उपलब्ध रहेगी।

निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोदस्ताक्षरकर्ता के पास रहेगा।

प्रतिलिपी सूचनाई व आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. निदेशक, री, दुर्गापुरा, जयपुर
2. प्रभारी, CLMCA, SKNAU, Jobner को भेजकर लेखते कि कृपया इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
3. कमेटी सदस्य ARSS/KVK, अजमेर
4. लेखा शाखा, ARSS, अजमेर
5. रक्षित पत्रावली

अधीन

Office Incharge
Agri. Res. Sub Station
Tabiji, Ajmer

अधीन

Office Incharge
Agri. Res. Sub Station
Tabiji, Ajmer

निकिदा प्रपत्र (दर विवरण हेतु)

निकिदादाता का नाम व पता:

क्र.स.	कार्य का विवरण	राशि की अनुमानित राशी (रुपये)	निकिदा दाता द्वारा प्रस्तुत दर विवरण (प्रति 100 धन फुट)
1	गोबर की खाद (FYM) की आपूर्ति हेतु (दर प्रति 100 धन फुट)	95000/-	

निकिदा की शर्तें:-

1. खाद उत्तम गुण क्ता युक्त पधा कंकड, पत्थर, प्लास्टिक, कचरा, मिट्टी रहित होनी चाहिए
2. प्रस्तुत दर में लगत राशी- परिवहन, लोडिंग, खाली करना इत्यादि शामिल करते हुये प्रति 100 धन फुट देनी होगी!
3. गोबर का खाद पूर्ण रूप से सज हुआ होना चाहिए व इसे निपुण अधिकारी/कर्मचारी से जांच के पश्चात प्लोवी-2 डेरी में सतापे गये स्थान पर खाली करना होगा!
4. खाद की आपूर्ति कार्यालय समय में ही करनी होगी।
5. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. कार्य के दौरान/साभारी नापने में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर निकिदा निरस्त कर दी जायेगी!
7. बिना कारण बताये निकिदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताकरकर्ता के पास रहेगा!

अधीक्षक

Official incharge
Agri. Res. Sub Station
Tabiji, Ajmer

हस्ताक्षर निकिदा दाता

मो.न.